

सरकारी और नजी संस्थानों में नैतिक चर्चाएँ एवं दुवधियाँ

प्रलम्ब के लिये:

[जवाबदेही](#), [गोपनीयता की शपथ](#), [भ्रष्टाचार](#), [रश्वतखोरी](#), [नवाचार](#), [अनुचित रोज़गार प्रथाएँ](#), [भ्रामक वजिज़ापन](#), [वित्तीय रश्विर्दगि](#), [नविशक वशिवास](#), [इनसाइडर ट्रेडगि](#), [प्रतसिपरधा-वशिधी प्रथाएँ](#), [सुशासन](#)

मेन्स के लिये:

सरकारी और नजी संस्थाओं में नैतिक चर्चाओं एवं दुवधियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रबंधन।

नैतिक चर्चाएँ और दुवधियाँ क्या हैं?

- **नैतिक चर्चाओं** को ऐसी स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें कार्यस्थल पर **नैतिक संघर्ष** उत्पन्न होता है। इस प्रकार नैतिक मुद्दे **समाज के सिद्धांतों** में **हस्तक्षेप** करते हैं।
 - वे इस बात से चर्चित हैं कि क्या **सही है और क्या गलत**, **अच्छा है या बुरा है** तथा हम उस जानकारी का उपयोग वास्तविक विश्व में अपने कार्यों को तय करने के लिये कैसे करते हैं।
 - कार्यस्थल में नैतिक चर्चाओं के **उदाहरणों** में **सहानुभूतपूर्ण नरिणय लेना**, **वशिवास और अखंडता** के संबंध में आचरण को बढ़ावा देना तथा **वविधिता को समायोजित** करना शामिल है।
 - **नैतिक दुवधि** को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें किसी अवांछनीय या **उलझन** भरी स्थिति में **सिद्धांतों के प्रतसिपरधी समूहों** के बीच **चुनाव करना आवश्यक** होता है।
 - किसी स्थिति को **नैतिक दुवधि** मानने के लिये **तीन स्थितियाँ** मौजूद होनी चाहिये:
 - नैतिक दुवधि की **पहली स्थिति** तब होती है जब किसी व्यक्ति या "एजेंट" को कार्रवाई का **सर्वोत्तम मार्ग** चुनना होता है।
 - नैतिक दुवधि के लिये **दूसरी स्थिति** यह है कि चुनने के लिये आचरण की कई पद्धतियाँ हों।
 - **तीसरा**, नैतिक दुवधि में चाहे कोई भी पद्धत अपनाई जाए, किसी न किसी **नैतिक सिद्धांत से समझौता करना** ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका **कोई आदर्श समाधान नहीं है**।
 - **नैतिक दुवधियों के प्रकार:**
 - **व्यक्तगत लागत नैतिक दुवधियाँ:** यह दुवधि उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिनमें नैतिक आचरण के अनुपालन के परिणामस्वरूप लोक सेवक-नरिणयकर्त्ता और/या एजेंट को महत्त्वपूर्ण **व्यक्तगत लागत** (जैसे, धारित पद को खतरे में डालना, वित्तीय या भौतिक लाभ के **अवसर को खोना**, **मूल्यवान संबंध को नुकसान पहुँचाना आदि**) उठानी पड़ती है।
 - **दक्षिणपंथी बनाम दक्षिणपंथी नैतिक दुवधियाँ:** यह दुवधि दो या दो से अधिक वास्तविक नैतिक मूल्यों के परस्पर वशिधी समूहों की स्थितियों से उत्पन्न होती है (उदाहरण के लिये, नागरिकों के प्रत **खुला और जवाबदेह** होने की लोक सेवकों की ज़िम्मेदारी बनाम **गोपनीयता की शपथ** का पालन करना आदि)।
 - **संयुक्त नैतिक दुवधियाँ:** यह दुवधि उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिनमें एक कर्त्तव्यनषिठ **लोक सेवक नरिणयकर्त्ता "सही कार्य"** की खोज में उपर्युक्त नैतिक दुवधियों के संयोजन के संपर्क में आता है।
- **सरकारी संस्थाओं में नैतिक चर्चाएँ:**
 - **सत्ता का दुरुपयोग: मनमाने या दमनकारी तरीके** से सत्ता का प्रयोग करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है तथा **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकता है**। यह राज्य या कुछ नागरिकों के हितों को नुकसान पहुँचाता है।
 - **उदासीन रवैया:** अधिकारी नरिणय लेने में अनिच्छा और **व्यावसायिकता का अभाव** दिखाते हैं, हालाँकि उनसे कुछ मानकों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
 - **भ्रष्टाचार और रश्वतखोरी:** **भ्रष्टाचार** सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला **बेईमानी भरा व्यवहार** है। इसमें रश्वत देना या लेना या अनुचित उपहार देना या लेना जैसी कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जो सरकारी प्रक्रियाओं की नषिपक्षता और अखंडता को कमज़ोर करती हैं।
 - **अस्पष्ट रवैया:** यह ज़िम्मेदारियों और कठिन नरिणयों से **बचने की प्रवृत्ति** है। इससे **अत्यधिक कागज़ी कार्यवाही** और प्रक्रियागत देरी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी कार्यवाही को टालने के लिये इनका औचित्य बता सकते हैं।
 - **सेवानवृत्ति के बाद लाभ:** सेवानवृत्ति के बाद पर्याप्त लाभ की संभावना के कारण **कुछ सविलि सेवक** अपने कार्यकाल के दौरान **उत्कृष्टता या नवाचार** प्राप्त करने की अपेक्षा लाभ सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं।

- **सार्वजनिक नधियों का कुप्रबंधन:** किसी व्यक्ताद्वारा किसी अन्य व्यक्ता या संगठन के लिये धन का प्रबंधन करते समय नधियों या दशा-नरिदेशों का पालन न करना। हालाँकि उसके पास धन तक वैध पहुँच थी, लेकिन इसका नजि लाभ या किसी अन्यअस्वीकृत उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाना अपराध है।
- **नजि संस्थानों में नैतिक चिताएँ:**
 - **अनुचित रोजगार व्यवहार:** वे नधिकाताओं या कर्मचारियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले कपटपूर्ण व्यवहार हैं, जो कि कानून द्वारा नषिदिध हैं, जैसे भेदभाव, कर्मचारी अधिकारों में हस्तकषेप, अनुचित नलिबन आदी।
 - **भरामक वजिज्ञापन:** इसमें अतशियोकृतपूरण दावों से लेकर स्पष्ट झूठ तक शामिल होते हैं, जो उपभोक्ता वशिवास और वजिज्ञापन उद्योग की अखंडता के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।
 - **दोषपूर्ण ऑडिट:** यह कई कारणों से हो सकता है जैसे अपर्याप्त या अपूरण ऑडिट प्रक्रियाएँ, व्यवसाय की समझ का अभाव, धोखाधडीपूर्ण वतितीय रिपोरटिंग या आंतरिक नयितरणों का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन। इससे इसकी प्रतषिठा को नुकसान पहुँच सकता है, नविशकों का वशिवास कम हो सकता है, वनियामक दंड और कानूनी देनदारियाँ हो सकती हैं।
 - **इनसाइडर ट्रेडिंग:** इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है किसी कंपनी की प्रतभितियों का गोपनीय, अप्रकाशित जानकारी का उपयोग करके लाभ कमाने या नुकसान से बचने के लिये व्यापार करना। यह कंपनी के अधिकारियों के प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन करता है।
 - **प्रतसिपर्द्धा वशिधी व्यवहार:** एक ही उद्योग में वभिन्न कंपनियों अपने उत्पादों की कीमतें एक ही तरीके से बढ़ाने के लिये गुप्त रूप से सहमत होती हैं, जसिसे ऐसी स्थिति पैदा होती है जो बाज़ार और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाती है। यह मुक्त बाज़ार में स्वस्थ प्रतसिपर्द्धा को बाधित करता है।
 - **प्रभाव पेडलिंग:** लॉबी का गठन अधिकारियों को इस प्रकार कार्य करने के लिये प्रभावित करने हेतु किया जाता है, जो उद्योग के सर्वोत्तम हितों के लिये लाभकारी हो, या तो अनुकूल कानून के माध्यम से या प्रतकूल उपायों को अवरोध करके। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करने में सक्षम प्रतीत होते हैं।
- **सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुवधियाँ:**
 - **व्यावसायिक कर्तव्य बनाम स्वयं के व्यक्तगत मूल्य:** व्यावसायिक कर्तव्य और किसी व्यक्ता के स्वयं के व्यक्तगत मूल्य आपस में टकरा सकते हैं तथा नैतिक दुवधि उत्पन्न कर सकते हैं, उदाहरण के लिये एक पुलिस अधिकारी व्यक्तगत रूप से यह मान सकता है कि जसि कानून को लागू करने की उसे आवश्यकता है, वह गलत है।
 - **गुमनामी बनाम पारदर्शिता:** मूलतः पारदर्शिता जवाबदेह प्रतनिधि सरकार की एक अनविर्य वशिषता है, लेकिन साथ हीनौकरशाह को प्रेस और मीडिया से संवेदनशील जानकारी गुप्त रखनी होती है।
 - **नयिम अनुपालन बनाम रचनात्मकता:** लोक सेवक स्थापति कानूनी और वनियामक ढाँचे के भीतर काम करते हैं जो जनता का भरोसा तथा वशिवास बनाए रखने में मदद करता है। हालाँकि आधुनिक दुनिया में सार्वजनिक सेवा के लिये नए वचिारों की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक सीमाओं को पार करते हैं और नए दृषटकिण तलाशते हैं।
 - **कठोरता बनाम लचीलापन:** भारतीय नौकरशाही कई स्तरों और प्रक्रियाओं के साथ एक कठोर पदानुक्रम का पालन करती है। लेकिन तकनीकी परिवर्तन की तेज़ गति के लिये सार्वजनिक सेवाओं को दक्षता तथा सेवा वतिरण में सुधार हेतु नए उपकरण, ससि्टम एवं प्रक्रियाओं को अपनाने में लचीला होना चाहिये।
 - **नजि जीवन बनाम सार्वजनिक जीवन:** सार्वजनिक हसतियों सहित व्यक्तियों को अपने नजि जीवन के कुछ पहलुओं, जैसे पारिवारिक मामले, स्वास्थय और व्यक्तगत संबंधों को नजि रखने का अधिकार है। हालाँकि सार्वजनिक हसतियों से अक्सर अपने कार्यों और नरिणयों के बारे में पारदर्शी रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनका व्यवहार जनता के वशिवास और भरोसे को प्रभावित कर सकता है।
- **नजि संस्थानों में नैतिक दुवधियाँ:**
 - **डेटा गोपनीयता बनाम डेटा प्रोसेसिंग:** ग्राहकों को पता होना चाहिये कि उनका डेटा कब और क्यों एकत्र किया जा रहा है और स्वयंसायों से अपेक्षा करनी चाहिये कि वे उपयोगकर्ता की जानकारी को अनधिकृत पहुँच से बचाएँ। जबकि उपभोक्ता डेटा प्रोसेसिंग व्यवसायों के लिये कई लाभ प्रदान करती है, जसिसे उन्हें सूचि नरिणय लेने, संचालन को अनुकूलित करने तथा ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलती है।
 - **कर्मचारी संतुषट बनाम कॉर्पोरेट लक्ष्य:** कर्मचारी संतुषट और कॉर्पोरेट लक्ष्यों के बीच संघर्ष अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यावसायिक प्रदर्शन को अधिकतम करने के लक्ष्य, कर्मचारियों की भलाई और मनोबल के साथ टकराते हैं। उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अक्सर कर्मचारियों को तंग समय सीमा को पूरा करने, भारी कार्यभार संभालने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है।
 - **टिकाऊ खरीद बनाम लागत दक्षता:** टिकाऊ और नैतिक आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाएँ प्राप्त करने में अधिक महंगी प्रथाओं, प्रमाणन या प्रीमियम उत्पादों के कारण उच्च लागत शामिल हो सकती है। लागत दक्षता को प्राथमिकता देने से वहनीय, कम टिकाऊ वकिलों को चुनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
 - **सुशासन बनाम लाभ अधिकतमीकरण:** सुशासन दीर्घकालिक स्थिरता, हतिधारकों के हितों और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जसिमें ऐसे नविश शामिल हो सकते हैं जो तत्काल वतितीय लाभ नहीं देते हैं। लाभ अधिकतमीकरण खामियों का फायदा उठाकर तत्काल वतितीय लाभ को प्राथमिकता देता है।
 - **समावेशिता बनाम दक्षता:** समावेशिता सहयोग, नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है, जसिसे एक अधिक उत्पादक और एकजुट टीम बनती है। दक्षता उच्च प्रदर्शन की संस्कृति को प्राथमिकता दे सकती है एवं परिणाम समावेशिता की अपेक्षा कर सकते हैं।
- **नैतिक चिताओं और दुवधियों का समाधान:**
 - **दीर्घकालिक स्व-हति का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो आपके संगठन के दीर्घकालिक स्व-हति में न हो।
 - **व्यक्तगत सद्गुण का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कुछ न करना जो ईमानदार और सचचा न हो।
 - **धार्मिक आदेश का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना, जो दयालु न हो तथा जसिसे सामुदायिक भावना का नरिमाण न हो।
 - **सरकारी आवश्यकताओं का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो कानून का उल्लंघन करता हो, क्योंकि कानून न्यूनतम नैतिक मानक का प्रतनिधित्व करता है।
 - **उपयोगितावादी लाभ का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जसिसे समाज का अधिक भला न हो।
 - **व्यक्तगत अधिकारों का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो दूसरों के सहमत अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

नषिकरष

सरकारी और नज्ी संस्थानों में नैतिक चलिाओं से नषिटने में कर्मचारी संतुषुट, कॉरपोरेट लक्ष्य तथा परचालन प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाना शामिल है। सरकार की दुवधिएँ पारदर्शति, जवाबदेही एवं सार्वजनिक कर्तव्य तथा व्यक्तगत हतियों के बीच संघरष पर केंद्रति हैं। नज्ी संस्थाओं को लाभ व सामाजिक उत्तरदायतिव, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार तथा उपभोक्ता गोपनीयता के बीच सामंजस्य स्थापति करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों के समाधान के लिये नैतिक सदिधांतों, सुदृढ शासन तथा पारदर्शति एवं समावेशति की संस्कृति के प्रतति परतबिद्धता की आवश्यकता है। नैतिक प्रथाओं को प्राथमकिता देकर और जवाबदेही बनाए रखकर, संस्थाएँ अपनी प्रतषिठा बढ़ा सकती हैं, वशिवास का नरिमाण कर सकती हैं, तथा दीरघकालिक नैतिक मूल्यों के साथ अल्पकालिक कार्यों को संरेखति करते हुए एक स्थायी भवषिय का समरथन कर सकती हैं।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ethical-concerns-and-dilemmas-in-government-and-private-institutions>

